SHORTAGE OF JUDGES

***48. Sh. Rakesh Daultabad, M.L.A**: Will the Chief Minister be pleased to state the following information regarding the Judges in Lower Courts in State:-

a) the Court wise number of Judges in State;

b) whether the State has adequate number of Judges in Courts or is there a shortage of Judges in State;

c) the number of required Judges in State with Court wise division; and

d) the steps being taken by the Government to meet out the shortage of Judges in Haryana judiciary?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Scanned with OKEN Scanner

STATEMENT OF SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER IN RESPECT OF STARRED QUESTION *48 ASKED BY SH. RAKESH DAULATABAD, M.L.A.

a) The sanctioned strength of **246** posts of Haryana Superior Judicial Service Officers (Sessions Court) and **526** posts of Civil Judge (Junior Division) are sanctioned in **Lower Courts** in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch);

b)& c) The State has adequate number of sanctioned strength of Judges, a temporary shortage that may occur due to retirement, etc., is being addressed by direct recruitment and promotions regularly. Presently, the State requires 68 Officers in Higher Judiciary in the cadre of Haryana Superior Judicial Service, out of which 39 posts are to be filled by promotion and remaining to be filled up by way of direct recruitment. Whereas, 129 positions of Civil Judges (Junior Division) are vacant in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch), the recruitment is in process; and

d) The matter regarding filling up 129 vacant posts of Haryana Civil Service (Judicial Branch) is under consideration of the State Government. An Interlocutory Application in Civil Appeal No. 1867/2006 titled as Malik Mazhar Sultan vs. UPPSC and others was moved by the State of Haryana in the Supreme Court of India on 07 April 2022. The matter regarding filling up of 29 vacancies (under direct quota) in Haryana Superior Judiciary is under consideration in the High Court and promotion case of Civil Judges (Junior Division) to the post of Additional District and Sessions Judges is also under consideration with State Government after an advice was sought from the Ministry of Law and Justice, Government of India.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायाधीशों की कमी

*48 **श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर):**

क्या मुख्यमंत्री राज्य की निचली अदालतों में न्यायाधीशों से संबंधित निम्न सूचना देने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में न्यायालयों वार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या राज्य के पास न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है या राज्य में न्यायाधी''ों की कमी है,

(ग) राज्य में न्यायालय मण्डल–वारअपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तथा

(घ) हरियाणा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमत्रीं, हरियाणा

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

श्री राकेश दौलताबाद, विधायक, बादशाहपुर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सख्या 48 के जबाब में श्री मनोहर लाल, मुख्यमत्रीं का वक्तवयः–

क) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के काडर में निचली अदालतों में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारियों (सत्र न्यायालय) के 246 पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 526 पद स्वीकृत हैं।

ख और ग) राज्य में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पर्याप्त संख्या में है, सेवानिवृत्ति आदि के कारण होने वाली अस्थायी कमी को नियमित रूप से सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा संबोधित किया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य को हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा काडर में उच्च न्यायपालिका में 68 अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनमें से 39 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और शेष सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। जबकि, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के काडर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 129 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, और

घ) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 129 रिक्त पदों को भरने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। सिविल अपील संख्या 1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू0पी0पी0एस0सी और अन्य शीर्षक से एक अंतवर्ती आवेदन 07 अप्रैल 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा राज्य द्वारा दायर किया गया था। हरियाणा वरिष्ठ न्यायपालिका की 29 रिक्तियों (सीधी भर्ती के तहत) को भरने के संबंध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद पर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की पदोन्नति का मामला भी कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से मंत्रणा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Scanned with OKEN Scanner